


298

422

माननीय राजस्व मण्डल मण्डलवालय सर्किट कोर्ट रीवा, मध्य प्रदेश.

R. 3807-11/14



Rs. 20/-

730
22.X.14

1. रामकेश पनिका तनय सुबरन पनिका R. 3807-III 114

2. रामविचारे पनिका तनय सुबरन पनिका

3. रामसादपनिका तनय सुबरन पनिका

4. गोरेलाल उर्फ गोदेलाल पनिका तनय सुबरन पनिका

तभी निवासी ग्राम असनी थाना एवं तह0 माडा जिला सिंगरौली

5. मुस0 बसन्ती धेबासुबरन पनिका सा0 असनी तह0 माडा जिला सिंगरौली

6. सुमेर पिता गोवर्धन पनिका सा0 असनी तह0 माडा जिला सिंगरौली

मण्डल के मण्डल निगरानी कत गिण

बनाम

1. रामविचार पनिका तनय श्री सुदर्शन पनिका निवासी ग्राम असनी

थाना एवं तह0 माडा, जिला सिंगरौली मण्डल

2. मण्डल शासन निगरानी कत गिण

बी.बी.एस. चौहान
आज दिनांक 22.X.14
प्रस्तुत किया गया।

ms
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 3492
सिस्टम प्रोसेस द्वारा आज
दिनांक 29-10-14 को प्राप्त

राजस्व मण्डल म.प्र. ज्वालियर

निगरानी बिन्दु न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार
तहसील माडा के प्रकरण क्रं0 18/अ-12-/13-14

के आदेश दि0 25-07-2014.

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मण्डल रटो क्रं0

1959 संशोधन 30 दिसम्बर 2011.

महोदय,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

Handwritten signature


(298)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R 3807-114 जिला सिमरौली

रामकेश पतिमा विरुद्ध राप्रविभार पतिमा

1	2	3
17-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री. शक्ति सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार/ नयब तहसीलदार तहसील. भा.डा. के प्रकरण क्रमांक 18.12.13.14 में पारित आदेश दिनांक 25.7.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सिमरौली के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 29.03.19 को कलेक्टर सिमरौली के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	